दिनांक–29.10.15 को प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग की अध्यक्षता में पटना में पेय जलापूर्ति हेतु भूमिगत केवलिंग (जमा कार्य) योजना के कार्यान्वयन के लिए बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा याचित राशि उपलब्ध कराने के विषय पर सम्पन्न बैठक की कार्यवाही :–

उपस्थिति :– यथा अभिलेख

कार्यवाही :–

JnNURM के अन्तर्गत पटना शहर में पेय जलापूर्ति योजना के कार्यान्वयन हेतु मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा दिनांक–06.11.2006 को अर्बन रिन्यूवल मिशन के संबंध में आहूत बैठक में 4020.42 लाख रू0 (चालीस करोड़ बीस लाख बयालीस हजार रू0) मात्र की लागत पर भूमिगत केबलिंग योजना की स्वीकृति दी गई थी। इस योजना का DPR स्वीकृति हेतु भारत सरकार भेजा गया परन्तु स्वीकृति नहीं मिल पायी। इस बीच तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 2010.21 लाख रू0 (बीस करोड़ दस लाख इक्कीस हजार रू0) मात्र योजना के कार्यान्वयन हेतु उपलब्ध करा दिया गया। पुनः विद्युत बोर्ड द्वारा अनुमानित राशि 7.00 करोड़ रू0 (सात करोड़ रू0) मात्र की माँग की गयी, परन्तु अद्यतन जानकारी के अनुसार बोर्ड को अब केवल 5.31 करोड़ रू0 (पाँच करोड़ इकतीस लाख रू0) मात्र की ही आवश्यकता रह गयी है।

प्रधान सचिव द्वारा बिजली बोर्ड/उर्जा विभाग के पदाधिकारियों से याचित राशि की औचित्य के बारे में जानना चाहा। बताया गया कि अब तक एजेंसी द्वारा कराये गये कार्य एवं बिजली बोर्ड का पर्यवेक्षण शुल्क सहित कुल 5.31 करोड़ रू0 (पाँच करोड़ इकतीस लाख रू0) मात्र की आवश्यकता है, जिसे भुगतान किया जाय।

सभी पक्षों से विमर्श के बाद निम्न निर्देश दिया गया :–

1. नगर निगम पटना में बिजली बोर्ड द्वारा किये गये केवलिंग कार्य की पूर्णता/उपयोगिता के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया जाय।
2. बिजली बोर्ड को देय अवशेष 5.31 करोड़ रू0 (पाँच करोड़ इकतीस लाख रू0) मात्र की भुगतान हेतु पहले पूरी योजना (20.10+5.31=25.41 करोड़ रू0) पर प्रशासनिक स्वीकृति मंत्रीपरिषद से प्राप्त करने की कार्रवाई की जाय।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त हुई।

ह0/–
(अमृत लाल मीणा),
प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांकः–03/UIG(विविध)–18/2012 4577 दिनांक–04/xi/15

प्रतिलिपिः–विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0, विद्युत भवन बेली रोड, पटना/उप सचिव, उर्जा विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव–सह–निदेशक के निजी सहायक/सहायक निदेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ।

3/11
प्रधान सचिव।